भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 734**

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

**उत्तराखंड में सड़क निर्माण**

734. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तराखंड के पहाड़ी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण और रखरखाव की वर्तमान स्थिति से अवगत है और यदि हाँ, तो अब तक निर्मित/पुन:निर्मित सड़क की लंबाई कितनी है;

(ख) चार धाम सड़क परियोजना और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण या विस्तार में देरी के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या गैर-परिवहन मोटर वाहनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति देने के कारण राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संबंध में कोई नीतिगत विवाद उत्पन्न हुआ है और यदि हाँ, तो इस संबंध में केंद्र सरकार का रुख क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उत्तराखंड जैसे संवेदनशील भूभाग में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुलभ, सुरक्षित और व्यवहार्य बनाने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2014-15 से 2025-26 (जून, 2025 तक) तक कुल 2,969 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया है।

(ख) उत्तराखंड राज्य में चार धाम और अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण विभिन्न न्यायालयों में वन और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित देरी और मुकदमेबाजी, भूमि अधिग्रहण में देरी, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, रेत/गिट्टी-मिट्टी की अनुपलब्धता, संविदाकारों का खराब निष्पादन, स्थल(साइट) के कार्य को प्रभावित करने वाली भारी वर्षा, वन्यजीव मंजूरी, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए स्थानीय मांग, संविदाकारों के साथ मध्यस्थता/संविदात्मक विवाद आदि हैं।

(ग) मोटर यान एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2025 के खंड 23 में "एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण (एग्रीगेशन)" का प्रावधान है।

(i) खंड 23.1 में कहा गया है, "राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा गतिशीलता के रूप में यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात से होने वाली भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ किफायती यात्री आवाजाही, अतिस्थानीय स्तर पर आपूर्ति (हाइपरलोकल डिलीवरी), आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे।

(ii) खंड 23.2 में कहा गया है कि "राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति दे सकती है"।

सरकार को उत्तराखंड राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संबंध में नीति-संबंधी किसी टकराव के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि गैर-परिवहन मोटर वाहनों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है।

(घ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए 4ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

सड़कों का विकास और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थानों पर क्रैश बैरियर, रंबल स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टिव साइनेज और गति नियंत्रण जैसे उचित सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से सड़क सुरक्षा लेखापरिक्षा (ऑडिट) और ब्लैक स्पॉट सुधार कार्य किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और लक्षित उपायों को तैयार करने के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी) परियोजना को लागू किया गया है।

*****